प्रेस विज्ञप्ति

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की नवीन वेबसाइट का

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा शुभारंभ

सूचना के अधिकार एवं **कर्मचारी कल्याण** के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम बढाते हुये दिनांक 7.8.2011 को **श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार** के द्वारा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की नवीन वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता **श्री अशोक बैरवा, माननीय बीमा राज्य मंत्री** के द्वारा की गयी।

राज्य सरकार के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 6.45 लाख राज्य कर्मचारियों का मास्टर डेटा विभागीय पोर्टल पर फीड कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारी की बेसिक डिटेल, कान्टेक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल, फेमिली डिटेल, बैंक डिटेल एवं अन्य विवरण शामिल किये गये है। उक्त डेटाबेस को नियमित रूप से अपडेट करने के लिये समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी विभागीय पोर्टल पर ऑन लाईन कार्य सम्पादित कर सकेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में फीड की गयी सूचनाओं में से फिलहाल 23 फील्डस की सूचनायें पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करा दी गयी है।

इन सूचनाओं की विभागवार एवं जिलेवार भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी कर्मचारी की जानकारी उसके संवर्ग, डीडीओ, पदनाम, जेण्डर, नियुक्ति वर्ष, जन्म तिथि अथवा सेवानिवृत्ति के वर्ष के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है। वेबसाइट पर अवलोकन करने के दिवस को जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का जन्म दिवस है उसकी सूची भी पृथक से उपलब्ध हो जाती है।

वेबसाइट पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संबंधित समस्त सूचनाएं यथा विभागीय योजनाओं की जानकारी, विभागीय नियम, विभागीय गतिविधियॉ, फोटो गेलेरी, विभागीय अधिकारियों की सम्पर्क सूची, शिकायत, FAQ उपलब्ध करायी गयी है। कर्मचारी अपने एम्पलॉई आईडी की जानकारी, बीमा एवं प्रावधायी निधि पत्रावली की वर्तमान लोकेशन, बीमा धन एवं बोनस की जानकारी भी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

कर्मचारियों के बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि से संबंधित कार्यों को इन्टरनेट के माध्यम से ऑन लाईन सम्पन्न कराने के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने एक वेब पोर्टल www.sipfportal.rajasthan.gov.in तैयार किया है। उक्त पोर्टल पर सितम्बर, 2011 से सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा जीपीएफ के कटौती पत्र ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। विभाग के द्वारा सभी कर्मचारियों को भी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके कर्मचारी न केवल अपने खातों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा अपितु वह ऋण आदि के लिये घर बैठे इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन भी कर सकेगा।

राज्य बीमा योजना एवं नवीन पेंशन योजना के कटौती पत्रों को भी सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आनलाईन प्रस्तुत करने के प्रक्रिया अप्रेल, 2012 से प्रारम्भ करने की योजना है । कटौती पत्रों के आनलाईन प्रस्तुत होने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सभी कार्मिकों के खातों (लेजर) में स्वतः ही राशि क्रेडिट होने का इन्द्राज संभव हो जायेगा, जिसे कार्मिक द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से देखा जा सकेगा ।

कार्यक्रम में श्री सी.के.मैथ्यू,अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), श्री संजय मल्होत्रा, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, श्री विनोद पण्डया, विशिष्ट शासन सचिव (वित्त), श्री सुरेश चन्द्र दिनकर, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।